



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235423
CG-DL-E-29042022-235423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944

No. 1881]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1981(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में NH 5 के कि.मी. 11 से कि.मी. 54.4 (3/4 लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, पेररयाकुप्पम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "24.11.2021 " को "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनामलार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लुर जिले में NH 5 के कि.मी. 11 से कि.मी. 54.4 (3/४ लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, पेररयाकुप्पम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: तिरुवल्लुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गुम्मिडिपूडी				
	गांव का नाम: किल्मुदालम्बेदु-I				
1	94/16A1	निजी	वेट	0.0082	548.वेंकटराम चेट्टियार (94/16ए1बी)
	गांव का नाम: किल्मुदालम्बेदु-II				
2	268/11	निजी	ड्राई	0.0006	639.ऐश्वर्य डबल्यू/ओ. सुथकर (268/11बी)
3	268/9A2	निजी	ड्राई	0.0022	04.तिरुमलैयाप्पन (268/9ए1ए)
4	268/9A2	निजी	ड्राई	0.0008	675.एँस्.एँस्.पज़ानी (268/9ए1बी)
5	268/9A2	निजी	ड्राई	0.001	671.पीला रानी (268/9ए2)
	तालुक का नाम: पोन्नेरी				
	गांव का नाम: चेम्बुलीवरम				
1	68/11B	निजी	ड्राई	0.0097	157. भुवन कूम्मार (1), शांति (2)

					(68/11बी2)
2	68/12	निजी	ड्राई	0.024	286.क्रिष्णन् (1) के.वी.टी. बिल्डर् पीवीटी. लिमिटेड., (2) (68/12बी)
	गांव का नाम: जगन्नाथपुरम-I				
3	88/2A9B	निजी	ड्राई	0.0034	65.स्वर्णमिर्यम्मल (88/2ए9ए2)
	गांव का नाम: नल्लूर				
4	13/1C1A	निजी	ड्राई	0.1265	1331.सरस्वती डबल्यू/ओ. बाला क्रिष्णन् (13/6)
			कुल	0.1764	

[फा. सं. NHA/11014/4/2000/Tech/GM(I-II)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1981(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 5 on the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 54.400 in the District of TIRUVALLUR in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas the substance of the said notification has been published in English “ The New Indian Express” and in Tamil “Dinamalar” both dated 24.11.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas Objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the additional lands to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 54.400 (Chennai - Tada section of NH-5) in the District of TIRUVALLUR in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU		District: TIRUVALLUR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Gummidipoondi				
	Village: Kilmudalambedu –I				
1	94/16A1	Private	Wet	0.0082	548.Venkatrama Chettiyar 94/16A1B
	Village: Kilmudalambedu –II				
2	268/11	Private	Dry	0.0006	639.Aishwariya W/o. Suthakar 268/11B
3	268/9A2	Private	Dry	0.0022	04.Thirumalaiyappan 268/9A1A
4	268/9A2	Private	Dry	0.0008	675.S.S.Pazhani 268/9A1B
5	268/9A2	Private	Dry	0.001	671.Sheela Rani 268/9A2
	Taluk: Ponneri				
	Village: Chembulivaram				
1	68/11B	Private	Dry	0.0097	157. Bhuvana Kumar (1), Shanthi (2) 68/11B2
2	68/12	Private	Dry	0.024	286.Krishnan (1) K.V.T. Builder Pvt. Ltd., (2) 68/12B
	Village: Jagannathapuram-I				
3	88/2A9B	Private	Dry	0.0034	65.Swarnamriammal 88/2A9A2
	Village: Nallur				
4	13/1C1A	Private	Dry	0.1265	1331.Saraswathi W/o. Bala Krishnan 13/6
			TOTAL	0.1764	

[F. No. NHAI/11014/4/2000/Tech/GM(I-II)/3D]

RAJESH GUPTA, Director